

**मांग संख्या 67**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1**

लोक निर्माण विभाग सरगुजा परिक्षेत्र अंबिकापुर में मुख्य अभियंता कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। शेष राशि विभागीय बचत से उपलब्ध करवायी जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4059**

**मद क्रमांक 2 से 3**

ई-कोर्ट योजना के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय भवन खैरागढ़, कुरुद, सराईपाली, डोगरगढ़ तथा डौड़ीलोहारा में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण हेतु प्रति कक्ष राशि रूपये 2.72 लाख के मान से कुल राशि रूपये 13.60 लाख तथा जिला न्यायालय रायगढ़ में लेखा, कम्प्यूटर एवं रिकार्ड कक्ष निर्माण/विस्तार कार्य हेतु (अनुमानित लागत राशि रूपये 50.18 लाख) तथा जिला न्यायालय कांकेर में पोर्च, ड्रेनेज, ग्राउण्ड समतलीकरण, पहुंच मार्ग, बाउन्डी वाल आदि कार्य हेतु (अनुमानित लागत राशि रूपये 38.90 लाख) इस वर्ष राशि रूपये 36.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु राशि रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

भारत सरकार द्वारा राज्य में नापतौल विभाग के एक द्वितीयक मानक एवं चार कार्यकारी मानक प्रयोगशाला की स्थापना के लिये प्रति भवन राशि रूपये 25 लाख के मान से रूपये 125.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 5**

ग्राम झलमला जिला कबीरधाम में 100 सीटर कीड़ा परिसर के निर्माण हेतु (लागत 65.00 लाख) इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

सरगांव (बिल्हा) जिला बिलासपुर में नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।